

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती सज़ा एवं अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रार्थी का नाम	संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
91951	102	श्रीधर सिंह पुत्र	960	0.15	श्रीधर सिंह पुत्र	960	0.15
		श्रीधर (पत्नी)	961	0.01	श्रीधर (पत्नी)	961	0.01
		श्रीधर - आलगा -	962	0.07	श्रीधर - आलगा -	962	0.07
		श्रीधर	963	0.20	श्रीधर	963	0.20
			964	0.01		964	0.01
			965	9.90		965	9.90

क्रमांक :- 166

प्रतिनिधि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी  
शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)  
PGKSA-2021, प.स. मौलासर  
दिनांक - 12/10/21

शिविर प्रभारी  
शिविर प्रभारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)  
PGKSA-2021, प.स. मौलासर  
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिनिधि पालनार्थ :-

उप तहसीलदार द्वारा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार बालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर